ग्रामीण पर्यटन के विकास के साथ पर्यटकों को आवास, आपको रोजगार

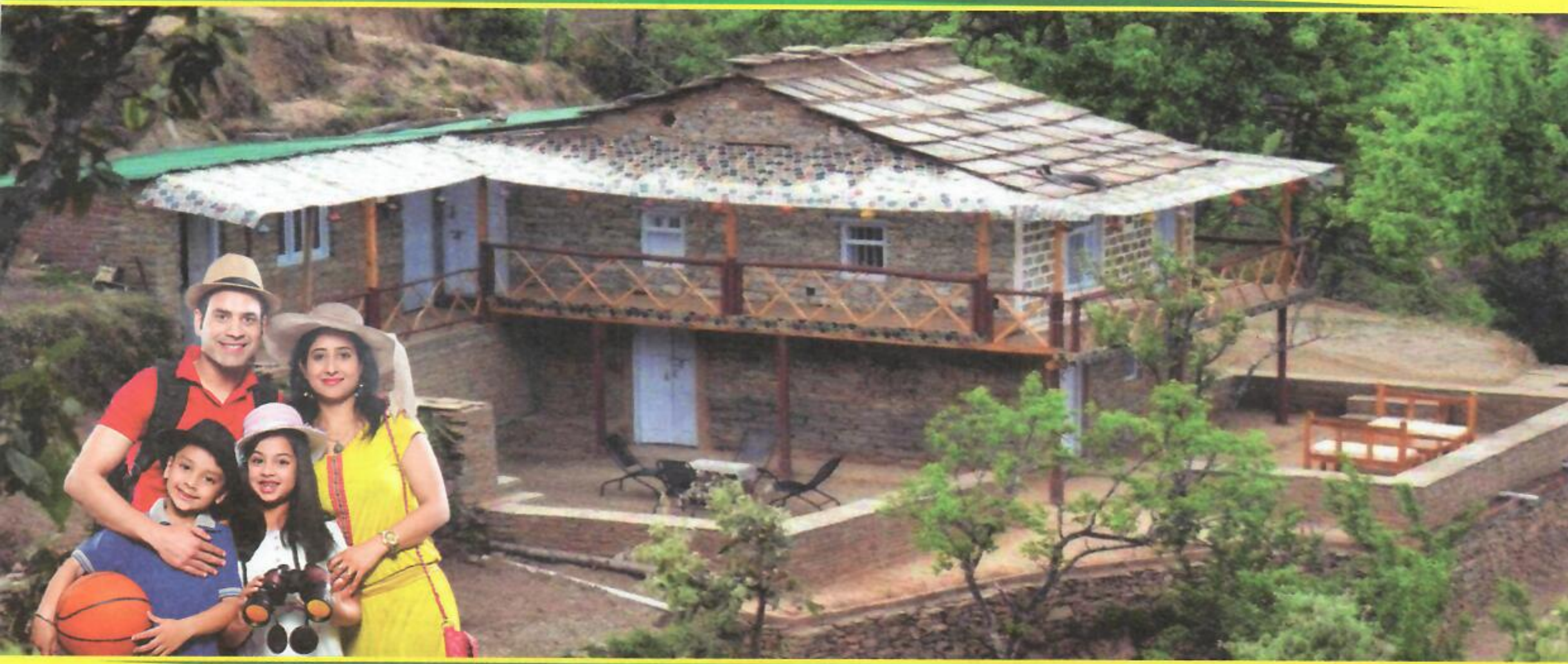

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना

उत्तराखण्ड की यात्रा में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ ही स्थानीय लोगों की खुशहाली के लिये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू की गई है। अब आप अपने घर का पर्यटकों के विश्राम स्थल के रूप में उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं।

योजना के फायदे

- विद्युत/पानी/ भवन कर आदि अव्यवसायिक दरों पर ही वसूली जायेंगी।
- होम स्टे स्थापित करने के लिए भू–उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- होम स्टे स्थापित/घर का नवीनीकरण करने के लिए पात्र आवेदकों को ऋण लिए जाने की दशा में राजकीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।
- होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षो तक **SGST** की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जायेगी।
- योजना के प्रसार के लिए पृथक वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप विकसित की जायेगी।
- होम स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

योजना की शर्तें

- भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो और वहां मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो।
- अपने भवन का होम स्टे योजना के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी।
- यह योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।
- पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता।

योजना का उद्देश्य

- स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के साथ नये पर्यटन स्थल विकसित करना।
- पर्यटकों को राज्य के व्यंजनों, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना।
- प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राज्य के राजस्व में वृद्धि करना।
- स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन को रोकना।
- विजन 2020 के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य।

विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र जमा करने हेतु संबंधित जिले के जिला पर्यटन अधिकारी से निम्न मो. न. एवं जिला पर्यटन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है

रुद्रप्रयाग (9412998517), टिहरी गढ़वाल (9412998518), उत्तरकाशी (8954615410), हरिद्वार (7060038440)
देहरादून/मसूरी (9412998508), पौड़ी (7895737015), गोपेश्वर–चमोली (9792376998), पिथौरागढ़ (8057223111)
उधमसिंह नगर (9410119182), बागेश्वर (7060038425), चम्पावत (7060038438), अल्मोड़ा (8882976860), नैनीताल (7060038408)

ऑनलाइन पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए http://www.uttarakhandtourism.gov.in/homestays/ पर लॉग ऑन करें। (मौजूदा होम स्टे संचालकों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है)

उत्तराखण्ड सचमुच स्वर्ग!

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्
पं. दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, ओएनजीसी हैलीपैड के निकट, गढ़ी कैंट, देहरादून-248001
फोन: # +91 135 2559898/ 2559987, www.uttarakhandtourism.gov.in, www.gmvnl.in, www.kmvn.gov.in

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना 2018" के अन्तर्गत ऋण/राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का
फोटो
स्वप्रमाणित

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

मैं/हम...पुत्र/पुत्री श्री...निवासी..................................
........................तहसील................................डाकघर................................जिला................................ उत्तराखण्ड में (जो कि नगर निगम क्षेत्र की सीमा से बाहर है) "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना" के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु रू..................................शब्दों में.. धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:–

1. आवेदक का नाम..
2. आयु (जन्मतिथि सहित) ....
3. योजना क्रियान्वयन का स्थल व पता..
4. योजना ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित है या शहरी क्षेत्र में ....
5. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग ....
   ....का सदस्य है, (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
6. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग है,...(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. योजना के लिये भवन/भूमि उपलब्धता का विवरण:–
   (क) भूमि का क्षेत्रफल ....
   (ख) भूमि/भवन के स्वामित्व का प्रमाण (पत्र जो स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो)...............................
8. योजना का नक्शा..
9. योजना का आगणन...
   (क) योजना की अनुमानित लागत..
   (ख) आवेदक का अंशदान...
   (ग) वांछित ऋण राशि..
10. योजना हेतु कुल अनुमानित धनराशि ....की आवश्यकता है।
11. बैंक व शाखा का नाम जहाँ से ऋण...लिया जाना प्रस्तावित है।
12. अन्य विवरण यदि कोई हों तो पुष्टि..के आधार पर इंगित किया जाये।

घोषणा:–

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भान्ति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पायी जाती है तो "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना" के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित की वसूली मुझसे कर ली जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर/नाम)

विशेष ध्यानाकर्षण:–

आवेदक आवेदन पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्न को (सत्यापित प्रतिलिपि सहित) सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में जमा करायें:–

1. जन्मतिथि /आयु प्रमाण पत्र
2. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
3. अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4. उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवास होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
5. भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
6. योजना का आगणन।

(आप इस आवेदन पत्र पर भी आवेदन कर सकते हैं)